# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 24 / 2023 | 01.02.2023 | 26.02.2024 |

उनवान

1. चन्द्रवीरसिंह पिता श्री संगममसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी गुरलां तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. त्रिभुवनसिंह पिता श्री संग्रामसिंह उम्र यमस्क जाति राजपूत निवासी गुरलां तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. महेन्द्रसिंह पिता श्री संग्रामसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी गुरला तह० एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेश पिता श्री जोधा उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा राज
2. कालु पिता श्री गंगाराम उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
3. भैरू पिता श्री गंगाराम उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा राज.
4. गोपी पिता श्री गंगाराम उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाडा
5. पन्ना पिता श्री जोधा उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा राज
6. दीपक कुमार पिता श्री जीवन सिंह लोढा उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा राज...
7. राजेश कुमार पिता श्री जीवन सिंह लोढा उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
8. रामकिशन पिता श्री लादू लाल सेन उम्र वयस्क जाति सेन निवासी गुरलां तहसील एवं जिला भीलवाडा राज.
9. दिनेश कुमार पिता श्री लादू लाल सेन उम्र वयस्क जाति सेन निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा राज.
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी मुरली वैष्णव
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

**—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—**

**—: निर्णय :—**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुरला प0ह0 गुरला भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076—2079 के खाता संख्या 128 की अभिलिखित आराजियात 1851, 1853, 1856 कुल किता 03 कुल रकबा 2.9084 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा गुरला प0ह0 गुरला भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076—2079 के खाता संख्या 128 की अभिलिखित आराजियात 1851, 1853, 1856 कुल किता 03 कुल रकबा 2.9084 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अ[illegible] निवृत्ति [illegible]नाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा